पत्रांकः-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-23/2017.......... 432(अ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

आदेश

15/1/18

निबंधित

संवेदक, श्री संजय कुमार, बी-4, मजिस्ट्रेट कॉलनी, आशियाना नगर, पटना, निबंधन सं0-तृतीय(व्यक्तिगत)-724(भवन)/2009नवीकृत द्वारा Proposed First Floor Interior work & Construction of Second Floor at Vishweshwariya Bhawan, Anexe Building,Patna for the year 2016-17 के निविदा में भाग लिया गया।

दिनांक-19.06.2017 को हुई विभागीय निविदा समिति की बैठक में सम्यक विचारोपरांत विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड मूल्यांकण समिति के निर्णय के आलोक में संवेदक, श्री संजय कुमार, बी-4, मजिस्ट्रेट कॉलनी, आशियाना नगर, पटना, को उक्त कार्य आवंटित करने का निर्णय लिया गया। दिनांक-13.09.17 को संवेदक द्वारा मुख्य अभियंता(पटना) के विरूद्ध कतिपय आरोप लगाते हुए पत्र दिया गया कि "निविदा समिति से अनुमोदन के पश्चात् भी संचिका लंबित है। मुख्य अभियंता,(पटना) इसका कोई संतोषपूर्ण कारण न बताते बल्कि कारण प्रधान सचिव बताते है कि वहां से वेट करनें बोला गया है जो मुझे झूठ लगता है। बल्कि यह भ्रष्टाचार की तरफ इंगित करता है।"

दिनांक-22.09.17 को हुई विभागीय निविदा समिति की बैठक में सम्यक् समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सचिवालय भवनों यथा मुख्य सचिवालय, विकास भवन एवं विश्वेश्वरैया भवन आदि के विस्तारीकरण की योजनाएँ उन सभी पर समेकित निर्णय लेने के पश्चात् ही अग्रेतर कार्रवाई की जाय। इनमें जिन योजनाओं का कार्य आवंटनादेश निर्गत नहीं हुआ है अथवा कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है उन सभी योजनाओं की प्रासंगिकता के आधार पर पुनसर्मीक्षा कर समेकित निर्णय लिया जाएगा। तदालोक में यह पाया गया कि अभी इस योजना की आवश्यकता नहीं है अतः इसे रद्द करने का निर्णय लिया गया।

संवेदक द्वारा दिये गये उक्त पत्र पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु मुख्य अभियंता(पटना) ने अपने पत्रांक-2484 (अनु0) दिनांक-25.09.2017 द्वारा अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग को संवेदक के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के तहत अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा की गई।

दिनांक-20.12.2017 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव ,भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में संवेदको के कालीकरण/निलंबन के संबंध में बैठक हुई जिसमें संवेदक, श्री संजय कुमार से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में संवेदक से विभागीय पत्रांक-11557(भ0) दिनांक-22.12.17 एवं पत्रांक-11693(भ0) दिनांक-28.12.17 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई।

दिनांक-02.01.18 को संवेदक, द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया। अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-05.01.18 को कालीकरण/निलंबन के संबंध में बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में संमिति द्वारा संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण को अमान्य करते हुए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका-11(क)(v) के आलोक में संवेदक, श्री संजय कुमार, बी-4,मजिस्ट्रेट कॉलनी, आशियाना नगर, पटना,निबंधन सं0-तृतीय(व्यक्तिगत)-724(भवन)/09नवीकृत को पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए कालीकृत करने का निर्णय लिया गया।

अतः संवेदक, श्री संजय कुमार, बी-4, मजिस्ट्रेट कॉलनी, आशियाना नगर, पटना, निबंधन सं0-तृतीय(व्यक्तिगत)-724(भवन)/2009नवीकृत को पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए कालीकृत किया जाता है।

ज्ञापांक- भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-डिबार/कालीकृत-23/2017...432(अ) पटना, दिनांक-15/1/18

प्रतिलिपिः- संवेदक, श्री संजय कुमार, बी-4, मजिस्ट्रेट कॉलनी, आशियाना नगर, पटना, निबंधन सं0-तृतीय(व्यक्तिगत)-724(भवन)/2009नवीकृत को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांकः-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-डिबार/कालीकृत-23/2017...432(अ) पटना,दिनांक-15/1/18

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण, विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-डिबार/कालीकृत-23/2017...432(अ) पटना, दिनांक-15/1/18

प्रतिलिपिः-आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव